

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 502(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 180 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर हास्यिक ट्रस्ट, मार्फत इंडियन कैंसर सोसाइटी, न्यू थिप्पासौद्रा मेन रोड, एच ए एल, तीसरा स्तर, बंगलौर-560075 द्वारा कर्नाटक, बंगलौर में गंभीर रूप से बीमार कैंसर मरीजों की देखभाल के लिए 50 बिस्तर वाले आश्रम के निर्माण, उपस्करों और साज-सज्जा के लिए कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 17 पर

विनिर्दिष्ट किया गया था जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 156 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था जिसे बाद में दिनांक 9 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1285 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 9 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1285 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 271.50 लाख रुपए से संशोधित करके 423.00 लाख रु० कर दिया गया था;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को संशोधित करके 423.00 लाख रुपए से 609.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :-

(क) बंगलौर हास्यिक ट्रस्ट, मार्फत इंडियन कैंसर सोसाइटी, न्यू थिप्पासौद्रा मेन रोड, एच ए एल, तीसरा स्तर, बंगलौर-560075 द्वारा चलाई जा रही कर्नाटक, बंगलौर में गंभीर रूप से बीमार कैंसर मरीजों की देखभाल के लिए 50 बिस्तर वाले आश्रम के निर्माण, उपस्करों और साज-सज्जा के लिए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 180 (अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है:-
नामत:

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 17 के सम्मुख कॉलम (4) में धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित अक्षर, अंक तथा शब्द "423.00 लाख रुपए" के स्थान पर अक्षर, अंक तथा शब्द "609.00 लाख रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।